बैंक की उसी एक शाखा में पति-पत्नी तथा सगे रिश्तेदारों का कार्य करना

3471. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर के क्षेत्रीय/मुख्य कार्यालय में पति-पत्नी तथा सगे संबंधियों के कार्य करने के संबंध में बैंक ने क्या नीति अपनाई है ;

(ख) क्या यह सच है कि पति-पत्नी दोनों अथवा निकट संबंधियों द्वारा एक ही शाखा अथवा मुख्यालय में कार्य करना अपेक्षित नहीं है ;

(ग) चांदनी चौक/नई दिल्ली स्थित शाखाओं में कार्यरत पति-पत्नी अथवा निकट संबंधियों का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि बैंक अधिकारियों ने जनवरी से मई, 1985 के दौरान अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां की थीं; यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि बैंक की निर्देश पुस्तक के अनुसार, स्टाफ के सदस्यों के पति-पत्नियों सहित सगे-संबंधियों को बैंक की एक ही शाखा में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान, बैंक के मानदण्डों के अनुसार चांदनी चौक शाखा, दिल्ली में पति-पत्नी दोनों अथवा सगे-सम्बन्धियों के एक साथ काम करने का कोई मामला नहीं है।

(घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि बैंक अधिकारियों ने जनवरी से मई, 1985 के दौरान अपने संबंधियों की नियुक्तियां की थीं ।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की चांदनी चौक शाखा के प्रबंधक के विरुद्ध अनियमितताओं का आरोप

3472. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री 20 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2366 के दिये गए उत्तर को देखेंगे जो कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर की चांदनी चौक (दिल्ली) शाखा के प्रबंधक के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है, और वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि उपरोक्त प्रश्न के भाग (ङ) में दिये गये उत्तर में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं से इंकार किया गया है जबकि राज्य सभा में 2 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न 831 के दिए गये उत्तर में इस बात को स्वीकार किया गया है कि ये अनियमितताएं की गई थीं; यदि हां, तो उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों में अन्तर के कारण क्या हैं ; और

(ख) सरकार को गलत सूचना देने के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध उक्त बैंक द्वारा क्या कदम उठाये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) दिनांक 20-8-85 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 का जो उत्तर दिया गया था, वह उस समय स्टेट बैंक आफ इंदौर से प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित था । बैंक के अनुसार, रिपोर्ट उस समय उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। अलबत्ता, बाद में जांच किए जाने पर, नियुक्ति के एक ऐसे मामले का पता चला था जिसमें पदधारी की आयु निर्धारित आयु से कम थी । इसका दिनांक 2-8-1988 को अतारांकित प्रश्न संख्या 831 राज्य सभा के उत्तर में विधिवत उल्लेख कर दिया गया था ।